

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

"वित्त भवन" जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई मेल :aao2.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.3(ई)(1)(6)/एसीपी/पार्ट-II/अलेसे-II/47 दिनांक :- 3-6-2024

**सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक),
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग,
श्रीगंगानगर।**

विषय:- श्री बलजीत सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय को 27 वर्षीय ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्वीकृत करने के संबंध।

संदर्भ:- श्री बलजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन प्रकरण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रांक द्वारा श्री बलजीत सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-द्वितीय को 27 वर्षीय ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्वीकृति के संबंध में प्रकरण प्रेषित किया है।

श्री बलजीत सिंह की वर्ष 2017-18 से 2020-21 एवं 2022-23 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अप्राप्त है, अतः अपेक्षित 09 वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नहीं होने एवं जनवरी 2023 की स्थिति में ऑनलाइन अचल सम्पत्ति विवरण (IPR) नहीं होने के कारण तृतीय ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाना संभव नहीं है, साथ ही श्री सिंह के विरुद्ध सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत कार्यवाही विचाराधीन होने के सम्बन्ध में अवगत कराया है। अतः श्री बलजीत सिंह के नियमानुसार वांछित वर्षों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन एवं जनवरी 23 की स्थिति में आई.पी.आर. की पूर्ति करवाते हुए एवं सीसीए नियम 17 के अन्तर्गत विचाराधीन कार्यवाही की नवीनतम वस्तुस्थिति से निदेशालय को अवगत कराने का श्रम करावें, जिससे ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. स्वीकृति संबंधी अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(भारती शेखावत)

उपनिदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:-एफ.3(ई)(1)(6)/एसीपी/पार्ट-II/अलेसे-II/47 दिनांक :- 3-6-2024
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री बलजीत सिंह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, श्रीगंगानगर को प्रेषित कर लेख है कि वांछित पूर्ति कर अवगत करावें।
2. गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

RajKaj
7706997



Signature valid

Digitally signed by Bharti Shekhawat
Designation: Deputy Director
Date: 2024.06.03 19:11:08 IST
Reason: Approver